न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी अवर न्यायाधीश,(प्रथम) नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–84/2020

दुर्गा साह.....वादी

बनाम

सुगंधी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

08.06.2022 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 02.03.2022 को इस आशय से दाखिल किया गया है कि वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 02.02.2022 को 800/–रू. हर्जे पर स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के आलोक में वादी द्वारा वादपत्र में निर्धारित समय सीमा के तहत संशोधन नहीं किया जा सका। यह कि वादी द्वारा जान बूझकर संशोधन करने में विलंब नहीं किया गया, बल्कि जानकारी के अभाव में समय से वादपत्र में संशोधन नहीं हो सका। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 02.02.2022 के आलोक में वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय।

इस आवेदन का प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि वादी द्वारा जान बूझकर वाद के निष्पादन को विलंबित करने हेतु विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में संशोधन नहीं किया गया, जिस कारण वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2022 को 800 रू. हर्जे पर स्वीकृत किया गया था, किन्तु वादी द्वारा निर्धारित विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में संशोधन नहीं किया गया। ऐसी दशा में वादी की ओर से दाखिल आवेदन 300 रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आदेश दिनांक 02.02.2022 के आलोक में वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 23.07.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)